

सं0 सं0 14/एम 11-2/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में
निदेशक,
हार्ट हौस्पीटल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 25.3.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

| क्र0सं0 | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि |
|---------|--|------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | राना सुनील कुमार सिंह पिता—स्व0 राना जगरनाथ सिंह मोहल्ला—Q-b/137, कंकड़बाग लोहियानगर, पोस्ट+थाना—कंकड़बाग जिला—पटना | हृदय रोग | ₹ 90,000/- (नब्बे हजार) स्वीकृत। |
| 2 | विजेन्द्र रजक पिता—स्व. रामपति रजक ग्राम—मोहीउददीनपुर पोस्ट—आशाड़ीह थाना—मसौढ़ी, जिला—पटना | हृदय रोग | ₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत। |
| 3 | समसुद्धीन पिता—स्व. मोहीउददीन ग्राम—फरीदपुर पोस्ट—रत्नी बाजार थाना—सकुराबाद जिला—जहानाबाद | हृदय रोग | ₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत। |
| | | | कुल रु0 2,10,000/- |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,10,000/- (दो लाख दस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 849941 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 30002849889 खाता धारक का नाम—“HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20” खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस0 बी० आई०, शाखा का नाम..... RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक

ज्ञापांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ८४९९५ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक — ३८५ (१५)

पटना, दिनांक — ६-४-१५

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६/४/१५

निदेशक प्रमुख

०१/०४/१५

D:\Monthly wise new format CM Relief\March-15\25-03-15\Hirt hospital patna 25-3-15.doc

सं0 सं0 14/एम 11-2/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 25.3.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि |
|---------|--|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अब्दुल रसीद पिता-अब्दुल गफुर ग्राम+पो०-शाहपुर बघौनी थाना-वैनी जिला-समस्तीपुर | हृदय रोग | ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। |
| 2 | अशोक कुमार पिता-स्व. मानीक साह ग्राम-नया टोला पोस्ट+थाना+जिला-कटिहार | हृदय रोग | ₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत। |
| 3 | अमीरी साह पिता-रामवतार साह ग्राम-मुरहाड़ीह पोस्ट-माधोपुर मलीनीया थाना-कन्हौली जिला-सीतामढ़ी | हृदय रोग | ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। |
| 4 | मनीष कुमार पिता-सुभाष भट ग्राम+पो०-गोराढ थाना-साहपुर, जिला-भोजपुर | हृदय रोग | ₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत। |
| | | | ₹ 2,70,000/- (दो लाख सतर हजार) |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,70,000/- (दो लाख सतर हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” चालु खाता सं0 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 849942 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-“निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना” खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय बौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

₹ ०/-

(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं84991 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹ ०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - ३८५ (१५)

पटना, दिनांक - ६-५-१५

प्रतिलिपि— लखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६/५/१५
निदेशक प्रमुख

०१०५.१५-

